न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 11/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सुगनसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी छाजोली तहसील जायल जिला नागौर।		नायब तहसीलदार, जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री गंगासिंह कालवी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:27.01.2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 26/2018 सरकार बनाम सुगनसिंह में निर्णय दिनांक 27.12.2018 के तहत मौजा छाजोली के खसरा नं. 312 गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.01.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 26.02.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 26/2018 सरकार बनाम सुगनसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 27.12.2018 की फोटोप्रति, मौजा छाजोली के नामान्तरकरण सं. 757 दिनांक 23.2.12 की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय जिला कलक्टर नागौर के निर्णय दिनांक 23.3.83 की फोटोप्रति तथा डिक्री दिनांक 23.3.83 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–आदेश जैर अपील विरूद्व कानून व हालात मामला के है जो निरस्तनीय है।

{2}(II)–आदेश जैर अपील करने से पहले कोई नोटिस अपीलांट को नही दिया। न विधिवत नोटिस की तामील करवायी जाकर कार्यवाही की गई है। इसलिये अपीलांट को जवाबदेही का अवसर नही मिला। न साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर मिला है। सो अपीलांट का मामला बिना जवाबदेही के निर्णीत कर दिया। जो कानून मे कोई आदेश नही है व निरंकुश है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)–भूमि मुतनाजा गलत रूप से हाल भू प्रबन्ध जो संवत 2020 से 2040 हुआ है, मे गै.मु. गोचर दर्ज कर दी है। जबकि यह भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि है। यह भूमि संवत 2006 के भू प्रबन्ध मे अपीलांट के दादा गोगसिंह की खातेदारी मे दर्ज किया गया है तथा संवत 2020 तक उसकी खातेदारी मे दर्ज है। संवत 2020 के भू प्रबन्ध मे इसे गलत रूप से गै.मु. गोचर दर्ज कर दी है। जिसकी दुरूस्ती के लिये अपीलांट का दावा घोषणा खातेदारी का चल रहा है। गलत प्रविष्टि के आधार पर अपीलांट पर बेदखली की कार्यवाही नही चल सकती। अगर विधिवत नोटिस दिया जाता तो अपीलांट अपना जवाब व सबूत पेश करता। सो आदेश गलत है। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–आदेश मे यह दर्ज है कि अपीलांट के मकान पर नोटिस चस्पानगी से सम्मन की गई है। चस्पानगी मकान पर तभी की जा सकती है। जब आसामी नोटिस लेने से इंकार करे। उस हालात मे दो मौतबिरो के सामने नोटिस मकान पर चस्पा किया जा सकता है। अन्यथा किसी परिस्थिति मे नोटिस मकान पर चस्पा नही किया जा सकता या फिर अदालत का इस प्रकार तामील कराने का आदेश हो वर्ना तामील कुनिन्दा चस्पानगी से तामील नही करवा सकता है। न नोटिस मे यह उल्लेख है कि किन कारणो से नोटिस

अपर कलक्टर, नागौर

की चस्पानगी की गई है। इसलिये पर्याप्त तामील अपीलांट की नही मानी जा सकती, इसलिये यह आदेश निरस्तनीय है।

{2}(V)–वकील अपीलांट द्वारा यह भी कथन किया गया कि राजस्व अपील सं. 32–34/83 रामसिंह बनाम सरकार मे न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा दिनांक 23.03.83 को अपीलांट को अतिक्रमी माने जाने को अनुचित मानते हुए बन्दोबस्त विभाग द्वारा अनियमित इन्द्राज बजाय खातेदारी के गोचर कर देने को गलत मानते हुए इन्द्राज पूर्ववत बहाल किये जाने के आदेश दिये गये है। मगर अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश की पालना अब तक नही की गयी है। जो करवायी जानी चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा छाजोली में स्थित गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके छाजोली के खसरा नंबर 312 रकबा 7 बीघा गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण मानते हुए बेदखली एवं जुर्माना से संबंधित आदेश जैर अपील पारित किया गया है। बंदोबस्त के दौरान मौजा छाजोली के साबिका खसरा नं. 276 से वर्तमान खसरा नं. 312 बना है तथा इसी भूमि को लेकर न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा राजस्व अपील सं. 32–34/83 रामसिंह बनाम सरकार मे निर्णय दिनांक 23.3.83 पारित किया गया। जिस पर क्या कार्यवाही हुई, अभिलेख पर नही है। आया उक्त आदेश वर्तमान मे प्रभावी है अथवा नही? ऐसी स्थिति मे अपीलांट को पर्याप्त सुनवाई के पश्चात ही कार्यवाही की जानी चाहिये थी। आदेश जैर अपील त्रुटिपूर्ण होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आराजी भूमि से संबंधित नियमित न्यायालय मे घोषणा खातेदारी से सबंधित वाद, अन्य सभी दस्तावेज/तथ्य रिकार्ड पर लेकर अपीलांट को सुनवाई, सबूत, शहादत आदि का पर्याप्त अवसर देते हुए न्यायालय जिला कलक्टर नागौर के आदेश दिनांक 23.03.83 के परिपेक्ष्य मे गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर नागौर